सत्यमेव जयते

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग

नीति | योजनाएं | कार्यक्रम

राष्ट्रीय युवा नीति–2014

राष्ट्रीय युवा नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ फरवरी, 2014 में शुरू की गई थी:

- युवाओं को उचित शिक्षा और कौशल उपलब्ध कराकर तथा उद्यमिता को बढ़ावा देकर एक उत्पादक कार्यबल के रूप में उनकों विकसित करना;
- प्रभावी स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ जीवनशैली और खेलों को बढ़ावा देकर एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी को विकसित करना;
- युवाओं में सामाजिक मूल्यों और समुदाय सेवा की भावना को बढ़ावा देना;
- युवाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी और शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना;
- लाभवंचित वर्गों के युवाओं और विशेष आवश्यकता वाले युवाओं के लिए समावेशी नीतियों को अपनाना।

विभाग की स्कीमें

युवा कार्यक्रम विभाग निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

- **राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके):** यह निम्नलिखित घटकों/उप स्कीमों नामतः (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन, (ii) राष्ट्रीय युवा कोर, (iii) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, (iv) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम, (v) अंतरराष्ट्रीय सहयोग, (vi) यूथ हॉस्टल, (vii) राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम और (viii) स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता को एकछत्र स्कीम में लाता है।
- **राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)**
- **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)**

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस):

1972 में आरंभ किया गया एनवाईकेएस विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। वर्तमान में एनवाईकेएस में 3.03 लाख युवा क्लबों के माध्यम से पूरे देश में 8.65 मिलियन युवा नामांकित है। इसका उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में सहभागी बनाना है। एनवाईकेएस के कार्यकलापों का संचालन प्रत्येक जिले में एक जिला युवा समन्वयक तथा प्रत्येक ब्लाक में दो राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से किया जाता है।

एनवाईकेएस के मुख्य कार्यक्रम

- युवा क्लब विकास कार्यक्रम
- युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण
- खेलों का संवर्धनः युवा क्लबों को खेल सामग्री तथा खेल स्पर्धा के आयोजन के लिए सहायता
- कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- लोक कला और संस्कृति तथा युवा कृति को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों को मनाना
- जिला युवा सम्मेलन
- उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार
- महात्मा गांधी युवा स्वच्छता अभियान एवं संवर्धन कार्यक्रम
- युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम

एनवाईकेएस के अन्य कार्यक्रम/ कार्यकलाप

- राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
- युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण

- साहस शिविर
- जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम।

एनवाईकेएस युवा क्लब सदस्य स्वास्थ और परिवार कल्याण, साक्षरता, साफ सफाई और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जीविकोपार्जन विकल्पों को बढ़ावा देना, योग का प्रचार, डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आपदा राहत और पुनर्वास, सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध अभियान आदि क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ–साथ सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस):

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवी समुदाय सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के उद्देश्य के साथ 1969 में आरंभ की गई थी। एनएसएस की विचाराधारा का उन्मुखीकरण महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। एनएसएस का आदर्श वाक्य **'मैं नहीं, अपितु आप'** है। एनएसएस में वर्तमान में 391 विश्वविद्यालयों/+2 कांउसिलों, 16,278 कालेजों/तकनीकी संस्थानों तथा 12,483 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 3.66 मिलियन युवा पंजीकृत हैं। इसकी स्थापना से लेकर अब तक 46 मिलियन छात्रों ने एनएसएस से लाभ उठाया है।

बुनियादी रूपरेखा / कार्यक्रम अवसंरचना

इस योजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक शैक्षिक संस्था में कार्यक्रम आधिकारी के रूप में पदनामित एक अध्यापक की अध्यक्षता में 100 छात्र स्वयंसेवकों (सामान्यतः) को शामिल करते हुए न्यूनतम एक एनएसएस इकाई होती है। प्रत्येक एनएसएस ईकाई अपने कार्यकलापों का संचालन करने के लिए एक गांव अथवा स्लम को अपनाती है। प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक को 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 घंटे की सेवा प्रदान करना आवश्यक होता है अर्थात कुल 240 घंटे। इसके अतिरिक्त, एनएसएस इकाई द्वारा अपनाएं गए गांव अथवा शहरी स्लम में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक की प्रतिभागिता अनिवार्य है।

एनएसएस के अंतर्गत किए जा रहे कार्यकलापों की प्रकृति

मुख्य कार्यकलापः एनएसएस की मुख्य गतिविधि समुदाय सेवा है। समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप एनएसएस के कार्यकलापों की प्रकृति में परिवर्तन होता

रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याणए साफ–सफाई और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देना, योग का प्रचार, आपदाओं/विपत्तियों के दौरान राहत और पुनर्वास आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एनएसएस स्वयंसेवक कार्य करते हैं।

अन्य कार्यकलापः राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में भी भाग लेते हैं जैसे गणतंत्र दिवस परेड शिविर, साहसिक शिविर, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और पूर्वोत्तर एनएसएस उत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 'सुविचार' और 'युवा सम्मेलन' कार्यक्रम, एनएसएस स्वयंसेवकों हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

आरजीएनआईवाईडी, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु आरजीएनआईवाईडी अधिनियम, 2012 द्वारा मंत्रालय के तत्वाधान में ''राष्ट्रीय महत्व का संस्थान'' है। आरजीएनआईवाईडी मंत्रालय के एक विचारक तथा देश में युवाओं से संबंधित कार्यकलापों के प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करता है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्यविधि एवं योजनाएं

शैक्षिक कार्यक्रमः वर्तमान में आरजीएनआईवाईडी 6 स्नातकोत्तर कार्यक्रम नामतः (i) काउंसलिंग साइकोलॅजी में एम.एससी (ii) सामाजिक नवाचार तथा उद्यमशीलता में एम.ए. (iii) जेंडर अध्ययन में एम.ए. (iv) स्थानीय अभिशासन और विकास में एम.ए. और (v) विकास नीति और पद्धति में एम.ए. और (vi) सामाजिक कार्य (युवा और समुदाय विकास) में एम.ए. प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने कुछ अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम, नामतः (i) बी.वोक. परिधान निर्माण और उद्यमशीलता (ii) बी.वोक. फैशन डिजाइन और रिटेल (iii) युवा विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और (iv) समुदाय मानसिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा आरंभ किया है।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माणः आरजीएनआईवाईडी देश भर में युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों जैसे कि युवा नियोजनीयता कौशल, सामाजिक उद्यमशीलता, जेंडर समानता, जीवन कौशल, आपदा तैयारी और जोखिम में कमी लाना, उद्यमशीलता और आजीविका के मुद्दे, युवा नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास, महिला नेतृत्व और भागीदारी आदि में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (ट्रेनरों के प्रशिक्षण सहित) का संचालन करता है।

शोध कार्यक्रमः आरजीएनआई वाईडी युवा अध्ययन के संबंध में अंतर विषयक डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान करता है।

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी):

एनपीवाईएडी के अंतर्गत युवा और किशोर कार्यकलापों के संचालन के लिए सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अन्य घटक हैं: (i) राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन, (ii) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और (iii) तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदानः विभिन्न राष्ट्रों के साथ पारस्परिक आधार पर विभिन्न देशों के युवाओं के बीच विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान–प्रदान का संवर्धन करने और शांति तथा समझ का संवर्धन करने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया जाता है। वर्तमान में चीन, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, रूस, बहरीन, वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव, कुवैत और नेपाल के साथ युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी भेजा जाता है।

अन्य कार्यकलापः यह विभाग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएनवी/यूएनडीपी/सीवाईपी के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। विभाग ने जुलाई, 2016 मे गुवाहाटी (असम) में दूसरा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)

नेबरहुड युवा संसद कार्यक्रमः इसका उद्देश्य सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित करने वाले समसामयिक मुद्दों पर वाद–विवाद/विचार–विमर्श में युवाओं को शामिल करके उनमें नेतृत्व गुणों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम ब्लाक स्तर और ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

विकास हेतु युवाः इसका उद्देश्य श्रमदान कार्यकलापों में युवाओं को शामिल करके उनमें नेतृत्व गुणों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम एनवाईकेएस और एनएसएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय युवा विकास निधिः इस निधि की स्थापना युवाओं हेतु नए कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है। निधि हेतु बजटीय अंशदान के अतिरिक्त गैर बजटीय स्रोत जैसे सीएसआर से भी निधि एकत्रित की जाएगी।

युवा छात्रावास

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा करने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें। वर्तमान में देश में 83 युवा छात्रावास हैं और रोइंग (अरूणाचल प्रदेश) में एक छात्रावास के निर्माण का कार्य चल रहा है। इनमें से छह छात्रावासों नामतः डलहौजी, मैसूर, जोधपुर, पुडुचेरी, आगरा और पंजिम युवा छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता

देश में स्काउट और गाइड आंदोलन के संवर्धन के लिए 1980 के आरंभ में यह स्कीम प्रारंभ की गई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य युवा लड़के और लड़कियों में चरित्र निर्माण, विश्वास, आदर्शवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करना है। स्कीम के अंतर्गत दो संगठनों नामतः (i) भारत स्काउट और गाइड्स और (ii) हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड्स को सहायता प्रदान की जाती है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग
www.yas.nic.in